

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 79 सन 2022

अनवान :-

1. बलवन्त पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री रामकुमार वैनीवाल अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :- 17/2/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 135/129 की कुल 1.1380 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 902/90 की कुल 1.0120 हैक् भूमि में से 1/3 भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम बलवन्त पुत्र हंसराज है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम बलवन्त पुत्र हंसराज है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केरीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर बलवन्त पुत्र हंसराज के स्थान पर बलवन्त पुत्र हंसराज संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिग्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेशकार राज उपस्थित होकर जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जवाब शामिल मिलस किया गया। उभयपक्षों की बहस सुनी।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 135/129 की कुल 1.1380 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 902/90 की कुल 1.0120 हैक् भूमि में से 1/3 भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज कर रखा है जबकि वादी का सही नाम बलवन्त पुत्र हंसराज है सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय वादी का नाम गलत तौर से दर्ज किया गया है वादी का सही नाम बलवन्त पुत्र हंसराज है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र, भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज किया गया है जो गलत है।


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी, खाद बीज का ऋण, मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नहीं है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सदुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 135/129 की कुल 1.1380 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 902/90 की कुल 1.0120 हैक् भूमि में से 1/3 भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराम दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय बलवन्त पुत्र हंसराज के स्थान पर बलवन्त पुत्र हंसराम दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं।


वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आग आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराज दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम हंसराज होना प्रतित होता है।

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नहीं होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र/पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सदुत एवं पैरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नहीं होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 135/129 की कुल 1.1380 हैक् में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 90/90 की कुल 1.0120 हैक् भूमि में से 1/3 भूमि में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हंसराम अंकित है के स्थान पर बलवन्त पुत्र हंसराम उर्फ हंसराज संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्तीय तकमील जाया दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/2/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाव्वा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :- सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनुदान :-

1. बलवन्त पुत्र हसराम जाति जाट निवासी चक 9 केएनएन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 79 सन 2020 निर्णय दिनांक- 17/12/21

आज यह वाद गुज श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 9 केएनएन के खाता संख्या 135/129 की कुल 1.1380 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 10 केएनएन के खाता संख्या 90/90 की कुल 1.0120 हैक्टर भूमि में से 1/3 भूमि में वादी का नाम बलवन्त पुत्र हसराम अंकित है के स्थान पर बलवन्त पुत्र हसराम उर्फ हसराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर